

अज अदालत ..... ३५२०२५। १३/३/२२ ..... सिकराय ..... (३०/१५५)  
 होट्या  
 सरकर बनाम .....  
 किरम मुकदमा ..... ६२१५५ ..... मु० नं० ..... १७/३०  
 नं० १५६ L.R.A.C.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल्स जन	नंबर व तारीख अहकाम जो इरा हुकम की तामील में जारी हुए
16.3.22	<p>पञ्चाली निर्वाच हेतु पेशी में ली गयी। उभय पक्ष की बहस पर गौर किया गया।                      ग्राम गण्डखारा के ख. नं. १३२ (१.०८ बीघा) वीरारत हाल ख. नं. २२१ की दरमीम शुद्धि वास्त यह वाद, इस तमोल court के पूर्व निर्वाच दि. २.५.१८ की अपील पर माननीय RAA द्वारा पुनः सुनवाई हेतु व्यवधान किये जाने के पश्चात, उभय पक्षों की सुनवाई के पश्चात पुनः निर्वाच किये जाने वास्त पेश हुआ है।                      वादी होट्या पक्ष के आधीवस्ता का तर्क रहा कि मूल ख. नं. १३२ की दरमीम नहीं होने व भू-पबंध द्वारा मूल ख. नं. १३२/२ के हाल ख. नं. २२१ कायम करते हुये, ख. नं. २२० के स्थान पर गलत मन्शा दरमीम की गयी है, जो काबिले दुरुस्त है उनके अनुसार मौका पेश दि. २६.९.१६ में यह मौका रिश्तारि पूर्ण रूप से स्पष्ट है।                      प्रतिवादी आधीवस्ता का तर्क रहा कि वादी पक्ष द्वारा पश्चात भूमी का उभय प्रतिवादी पक्ष से दि. १६.९.१३ के बैयनामा द्वारा किया गया है उक्त बैयनामे में वेदान शुद्ध भूमी की दिरेक्शन का स्पष्ट उल्लेख किया गया है प्रतिवादी पक्ष अनुसार Settlement दरमीम सही गय की गयी है।                      उभय पक्ष की बहस से स्पष्ट है कि वादी पक्ष की मन्शा कास्त Settlement दरमीम के विद्यमान मौका पेश दि. २६.९.१६ अनुसार शुद्ध है ही रही है।                      अतः तहसीलदार बहरावडा के आधीवस्ता किया जाता है कि ग्राम गण्डखारा के ख. नं. २२१ (साविक ख. नं. १३२ रकबा १.०८ बीघा) की मन्शा दरमीम मन्शा रिश्तारि अनुसार की जावे।</p>	

(हस्ताक्षर)  
 १६.३.२२